

भारत का
सूचना का अधिकार २००५
सम्पूर्ण मार्ग दर्शिका (दो भागों में)

प्रथम भाग

नरेन्द्र सिंह तोमर “आनन्द”
एडवोकेट



प्रकाशक

नेशनल नोबल यूथ अकादमी
४२, गांधी कालोनी, मुरैना म.प्र.
४७६००१—भारत

वेबसाइट : www.gwaliortimes.com

ई मेल : RTI@gwaliortimes.com

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

मूल्य १३५ रूपये

प्रकाशन वर्ष २००५

डाक द्वारा (भारत में — १७५ रूपये), (विदेश में—6.00\$-U.S.DOLLAR)

अनुक्रमणिका

भाग—१

१. भारत सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ —असल मूल रूप में, अंग्रेजी में
२. सूचना का अधिकार पर म.प्र. शासन के आदेश/नियम/अनुदेश/शुल्क
३. सूचना का अधिकार पर राजस्थान सरकार के आदेश /नियम/अनुदेश/शुल्क
४. सूचना का अधिकार पर भारत सरकार के आदेश/नियम/अनुदेश/शुल्क
५. सूचना का अधिकार पर प्रश्नोत्तरी
६. अत्यंत जरूरी बातें
 - अ. सूचना प्रदाताओं के लिये
 - ब. सूचना प्राप्तकर्ताओं के लिये

भाग—२

१. भारत सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ —हिन्दी अनुवाद
२. सूचना का अधिकार में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन
३. सूचना का अधिकार में अपील करने हेतु अपील आवेदन
४. सूचना का अधिकार का पालन न करने पर शास्ति/दण्ड
५. सूचना का अधिकार का पालन न करने पर आपराधिक प्रकरण संचालन
६. सूचना का अधिकार में शासकीय संस्थाओं/विभागों/कार्यालयों द्वारा धारा ४(१) बी के तहत १७ बिन्दुओं की जानकारी ,इण्टरनेट,नेटवर्क,और हस्तपुस्तिका,सूचना पटल,समाचारपत्रों के रूप में प्रकाशन की रीति
७. सूचना का अधिकार में अशासकीय संस्थाओं/विभागों/कार्यालयों/पंचायतों/नगरपालिकाओं/निगमों/विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा धारा ४(१) बी के तहत १७ बिन्दुओं की जानकारी ,इण्टरनेट,नेटवर्क,और हस्तपुस्तिका, सूचना पटल,समाचारपत्रों के रूप में प्रकाशन की रीति
८. सूचना का अधिकार में धारा ४(१) अ के पालन में सम्पूर्ण अभिलेख को नेटवर्क/इण्टरनेट पर डालने की रीति
९. सूचना का अधिकार का दुरुपयोग रोकने के उपाय
- १०.सूचना का अधिकार में लोकसूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं से फाइल मंगाने/जानकारी तलब करने की रीति
- ११.सूचना का अधिकार में लोकसूचना अधिकारी/सहायक लोकसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन निपटाने का तरीका
- १२.सूचना का अधिकार में अन्य संबंधित विभाग/कार्यालय को आवेदन या उसका भाग स्थानान्तरण की रीति
- १३.सूचना का अधिकार में समस्या समाधान की रीति
- १४.सूचना का अधिकार पर महत्वपूर्ण आलेख/फीचर्स
- १५.सूचना का अधिकार और एम.पी. पोर्टल योजना
- १६.सूचना का अधिकार एक ब्रह्मास्त्र,सर्वोपाय साधन

Mandil Electrostare & Computers

Shankar Baba ka Padav, Subat Road, MORENA (M.P.)

WEBSITE : www.mandilcomputers.com

A NAME OF QUALITY



COMPUTERS WORLD WITH NEWER & PRECIOUS TECHNOLOGY

AUTHORIZED SALE & SERVICE CENTER

NOW INTEX TECHNOLOGY WITH INTEL FEEL A RICH EXPERIENCE

WITH US

ASSEMBLED AND COMPANY MADE COMPUTERS

PLAN-I	PLAN-II	PLAN-III
INTEL CELERON 2.13 WITH ORIGINAL MOTHERBOARD 128 M.B. RAM 40 G.B. H.D.D. 15 INCH COLOURED MONITOR L.G. K.B.M.M. SCROLLING MOUSE SPEAKERS C.D. ROM FLOPPY DRIVE (F.D.D.) 1.44 CABINET + U.P.S. +FREE GIFT +MOUSE PAD +DUST COVER +C.D. BAG	INTEL CELERON 2.53 WITH INTEL CHIPSET MOTHERBOARD 128 M.B. RAM 40 G.B. H.D.D. 15 INCH COLOURED MONITOR L.G. K.B.M.M. SCROLLING MOUSE SPEAKERS C.D. ROM FLOPPY DRIVE (F.D.D.) 1.44 CABINET + UPS +FREE GIFT +MOUSE PAD +DUST COVER +C.D. BAG	INTEL PANTIUM -4 (P-4) TECHNOLOGY 2.4 WITH ORIGINAL MOTHERBOARD 128 M.B. RAM 40 G.B. H.D.D. 15 INCH COLOURED MONITOR L.G. K.B.M.M. SCROLLING MOUSE SPEAKERS C.D. ROM FLOPPY DRIVE (F.D.D.) 1.44 CABINET + UPS +FREE GIFT +MOUSE PAD +DUST COVER +C.D. BAG

A JUNGLE OF CHOICE, EVERY THING IS HERE AS YOUR NEED

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

No. 22 of 2005

[15th June, 2005.]

An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Constitution of India has established democratic Republic;

AND WHEREAS democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed;

AND WHEREAS revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the Governments, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information;

AND WHEREAS it is necessary to harmonise these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal;

NOW, THEREFORE, it is expedient to provide for furnishing certain information to citizens who desire to have it.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Right to Information Act, 2005.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) The provisions of sub-section (1) of section 4, sub-sections (1) and (2) of section 5, sections 12, 13, 15, 16, 24, 27 and 28 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Act shall come into force on the one hundred and twentieth day of its enactment.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) **"appropriate Government"** means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly—

(i) by the Central Government or the Union territory administration, the Central Government;

(ii) by the State Government, the State Government;

(b) **"Central Information Commission"** means the Central Information Commission constituted under sub-section (1) of section 12;

(c) **"Central Public Information Officer"** means the Central Public Information Officer designated under sub-section (1) and includes a Central Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section (2) of section 5;

(d) **"Chief Information Commissioner"** and **"Information Commissioner"** mean the Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed under sub-section (3) of section 12;

(e) **"competent authority"** means—

(i) the Speaker in the case of the House of the People or the Legislative Assembly of a State or a Union territory having such Assembly and the Chairman in the case of the Council of States or Legislative Council of a State;

(ii) the Chief Justice of India in the case of the Supreme Court;

(iii) the Chief Justice of the High Court in the case of a High Court;

(iv) the President or the Governor, as the case may be, in the case of other authorities established or constituted by or under the Constitution;

(v) the administrator appointed under article 239 of the Constitution;

(f) **"information"** means any material in any form, including records, documents,

memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force;

(g) **"prescribed"** means prescribed by rules made under this Act by the appropriate Government or the competent authority, as the case may be;

(h) **"public authority"** means any authority or body or institution of self-government established or constituted—

(a) by or under the Constitution;

(b) by any other law made by Parliament;

(c) by any other law made by State Legislature;

(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any—

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

(i) **"record"** includes—

(a) any document, manuscript and file;

(b) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;

(c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and

(d) any other material produced by a computer or any other device;

(j) **"right to information"** means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to—

(i) inspection of work, documents, records;

(ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or records;

(iii) taking certified samples of material;

(iv) obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device;

(k) **"State Information Commission"** means the State Information Commission constituted under sub-section (1) of section 15;

(l) **"State Chief Information Commissioner"** and **"State Information Commissioner"** mean the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner appointed under sub-section (3) of section 15;

(m) **"State Public Information Officer"** means the State Public Information Officer designated under sub-section (1) and includes a State Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section (2) of section 5;

(n) **"third party"** means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority.

CHAPTER II

Right to information and obligations of public authorities

3. Right to information

Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.

4. (1) Every public authority shall—

a) **maintain** all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;

b) **publish within one hundred and twenty days** from the enactment of this Act,—

(i) the particulars of its organisation, functions and duties;

(ii) the powers and duties of its officers and employees;

(iii) the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;

(iv) the norms set by it for the discharge of its functions;

(v) the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by

it or under its control or used by its employees for discharging its functions;

(vi) a statement of the categories of documents that are held by it or under its control;

(vii) the particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;

(viii) a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

(ix) a directory of its officers and employees;

(x) the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;

(xi) the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

(xii) the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

(xiii) particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;

(xiv) details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;

(xv) the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;

(xvi) the names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

(xvii) such other information as may be prescribed;

and thereafter update these publications every year;

c) publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;

d) provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.

(2) It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub-section (1) to provide as much information *suo motu* to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.

(3) For the purposes of sub-section (1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.

(4) All materials shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of sub-sections (3) and (4), "disseminated" means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means, including inspection of offices of any public authority.

5. (1) Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at

each sub-divisional level or other sub-district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be:

Provided that where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under sub-section (1) of section 7.

(3) Every Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information.

(4) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

(5) Any officer, whose assistance has been sought under sub-section (4), shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, seeking his or her assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be.

6. (1) A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to—

(a) the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority;

(b) the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, specifying the particulars of the information sought by him or her:

Provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing.

(2) An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.

(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information,—

(i) which is held by another public authority; or

(ii) the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority,

the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer:

Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application.

7. (1) Subject to the proviso to sub-section (2) of section 5 or the proviso to subsection (3) of section 6, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case **within thirty days of the receipt of the request**, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9:

Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.

(2) If the Central Public Information Officer or State Public Information Officer,

as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request.

(3) Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving—

(a) the details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculations made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under subsection (1), requesting him to deposit that fees, and the period intervening between the despatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in that sub-section;

(b) information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided, including the particulars of the appellate authority, time limit, process and any other forms.

(4) Where access to the record or a part thereof is required to be provided under this Act and the person to whom access is to be provided is sensorily disabled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection.

(5) Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (6), pay such fee as may be prescribed:

Provided that the fee prescribed under sub-section (1) of section 6 and sub-sections (1) and (5) of section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section (1).

(7) Before taking any decision under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11.

(8) Where a request has been rejected under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request,—

(i) the reasons for such rejection;

(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and

(iii) the particulars of the appellate authority.

(9) An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.

8. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,—

(a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence;

(b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

(c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

(e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the

competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(f) information received in confidence from foreign Government;

(g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers:

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information:

Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

19 of 1923. (2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section: Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

9. Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

Severability **10.** (1) Where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure, then, notwithstanding anything contained in this Act, access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure under this Act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information.

(2) Where access is granted to a part of the record under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall give a notice to the applicant, informing—

(a) that only part of the record requested, after severance of the record containing information which is exempt from disclosure, is being provided;

(b) the reasons for the decision, including any findings on any material question of fact, referring to the material on which those findings were based;

(c) the name and designation of the person giving the decision;

(d) the details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit; and

(e) his or her rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fee charged or the form of access provided, including the particulars of the senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, time limit, process and any other form of access.

11. (1) Where a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose any information or record, or part thereof on a request made under this Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within five days from the receipt of the request, give a written notice to such third party of the request and of the fact that the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose the information or record, or part thereof, and invite the third party to make a submission in writing or orally, regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information:

Provided that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.

(2) Where a notice is served by the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, under sub-section (1) to a third party in respect of any information or record or part thereof, the third party shall, within ten days from the date of receipt of such notice, be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure.

(3) Notwithstanding anything contained in section 7, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within forty days after receipt of the request under section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under sub-section (2), make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the third party.

(4) A notice given under sub-section (3) shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision.

CHAPTER III

The Central Information Commission

12. (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Central Information Commission shall consist of—

(a) the Chief Information Commissioner; and

(b) such number of Central Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of—

(i) the Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Lok Sabha; and

(iii) a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.

Explanation.—For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the House of the People has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of the People shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner who shall be assisted by the Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any

political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the Central Information Commission shall be at Delhi and the Central Information Commission may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.

13. (1) The Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment:

Provided that no Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such Information Commissioner:

Provided that every Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section be eligible for appointment as the Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 12:

Provided further that where the Information Commissioner is appointed as the Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the Information Commissioner and the Chief Information Commissioner.

(3) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the President or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office: Provided that the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 14.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of—

(a) the Chief Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Election Commissioner;

(b) an Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner:

Provided that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity:

Provided further that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits:

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The Central Government shall provide the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

14. (1) Subject to the provisions of sub-section (3), the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has, on inquiry, reported that the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner, as the case may be,

ought on such ground be removed.

(2) The President may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the Chief Information Commissioner or Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the President may by order remove from office the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner if the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner, as the case may be,—

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the President, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner.

(4) If the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

CHAPTER IV

The State Information Commission

15. (1) Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the (name of the State) Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The State Information Commission shall consist of—

(a) the State Chief Information Commissioner, and

(b) such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of—

(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and

(iii) a Cabinet Minister to be nominated by the Chief Minister

Explanation.—For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Legislative Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the State Information Commission shall be at such place in the State as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the State Information Commission may, with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State.

16. (1) The State Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment:

Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every State Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner:

Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 15:

Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.

(3) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, shall before he enters upon his office make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office:

Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 17.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of—

(a) the State Chief Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner;

(b) the State Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Secretary to the State Government:

Provided that if the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity:

Provided further that where the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or the State Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits:

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

17. (1) Subject to the provisions of sub-section (3), the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the

Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The Governor may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the Governor has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor may by order remove from office the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if a State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be,—

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner.

(4) If the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

CHAPTER V

Powers and functions of the Information Commissions, appeal and penalties

18. (1) Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any person,—

(a) who has been unable to submit a request to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this Act, or because the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, has refused to accept his or her application for information or appeal under this Act for forwarding the same to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer or senior officer specified in subsection (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be;

(b) who has been refused access to any information requested under this Act;

(c) who has not been given a response to a request for information or access to information within the time limit specified under this Act;

(d) who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable;

(e) who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information under this Act; and

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

(2) Where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into the matter, it may initiate an inquiry in respect thereof.

(3) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely:—

5 of 1908

- (a) summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things;
 - (b) requiring the discovery and inspection of documents;
 - (c) receiving evidence on affidavit;
 - (d) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;
 - (e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and
 - (f) any other matter which may be prescribed.
- (4) Notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act of Parliament or State Legislature, as the case may be, the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may, during the inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of the public authority, and no such record may be withheld from it on any grounds.

Appeal

19. (1) Any person who, does not receive a decision within the time specified in subsection (1) or clause (a) of sub-section (3) of section 7, or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority: Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he or she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Where an appeal is preferred against an order made by a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, under section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within thirty days from the date of the order.

(3) A second appeal against the decision under sub-section (1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State Information Commission: Provided that the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) If the decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party.

(5) In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request.

(6) An appeal under sub-section (1) or sub-section (2) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty-five days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.

(7) The decision of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall be binding.

(8) In its decision, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to—

(a) require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this Act, including—

(i) by providing access to information, if so requested, in a particular form;

(ii) by appointing a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;

(iii) by publishing certain information or categories of information;

(iv) by making necessary changes to its practices in relation to the maintenance, management and destruction of records;

(v) by enhancing the provision of training on the right to information for its officials;

(vi) by providing it with an annual report in compliance with clause (b) of subsection (1) of section 4;

(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered;

(c) impose any of the penalties provided under this Act;

(d) reject the application.

(9) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision, including any right of appeal, to the complainant and the public authority.

(10) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.

Penalties

20. (1) Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause, refused to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under sub-section (1) of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees:

Provided that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him:

Provided further that the burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.

(2) Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause and persistently, failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under subsection (1) of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, under the service rules applicable to him.

CHAPTER VI

Miscellaneous

Protection of
action taken in
good faith.

21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Act to have
overriding
effect

22. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923, and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Bar of
jurisdiction of
courts

23. No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.

Act not to
apply to

certain
organisations

24. (1) Nothing contained in this Act shall apply to the intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, being organisations established by the Central Government or any information furnished by such organisations to that Government:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission, and notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by including therein any other intelligence or security organisation established by that Government or omitting therefrom any organisation already specified therein and on the publication of such notification, such organisation shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from the Schedule.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before each House of Parliament.

(4) Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence and security organisation being organisations established by the State Government, as that Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the State Information Commission and, notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(5) Every notification issued under sub-section (4) shall be laid before the State Legislature.

25. (1) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, as soon as practicable after the end of each year, prepare a report on the implementation of the provisions of this Act during that year and forward a copy thereof to the appropriate Government.

(2) Each Ministry or Department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, as is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purposes of this section.

(3) Each report shall state in respect of the year to which the report relates,—

(a) the number of requests made to each public authority;

(b) the number of decisions where applicants were not entitled to access to the documents pursuant to the requests, the provisions of this Act under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked;

(c) the number of appeals referred to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, for review, the nature of the appeals and the outcome of the appeals;

(d) particulars of any disciplinary action taken against any officer in respect of the administration of this Act;

(e) the amount of charges collected by each public authority under this Act;

(f) any facts which indicate an effort by the public authorities to administer and implement the spirit and intention of this Act;

(g) recommendations for reform, including recommendations in respect of the particular public authorities, for the development, improvement, modernisation, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalising the right to access information.

(4) The Central Government or the State Government, as the case may be, may, as

soon as practicable after the end of each year, cause a copy of the report of the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, referred to in sub-section (1) to be laid before each House of Parliament or, as the case may be, before each House of the State Legislature, where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature before that House.

(5) If it appears to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, that the practice of a public authority in relation to the exercise of its functions under this Act does not conform with the provisions or spirit of this Act, it may give to the authority a recommendation specifying the steps which ought in its opinion to be taken for promoting such conformity.

26. (1) The appropriate Government may, to the extent of availability of financial and other resources,—

(a) develop and organise educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act;

(b) encourage public authorities to participate in the development and organisation of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves;

(c) promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; and

(d) train Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, of public authorities and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves.

(2) The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this Act.

(3) The appropriate Government shall, if necessary, update and publish the guidelines referred to in sub-section (2) at regular intervals which shall, in particular and without prejudice to the generality of sub-section (2), include—

(a) the objects of this Act;

(b) the postal and street address, the phone and fax number and, if available, electronic mail address of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of every public authority appointed under sub-section (1) of section 5;

(c) the manner and the form in which request for access to an information shall be made to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;

(d) the assistance available from and the duties of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of a public authority under this Act;

(e) the assistance available from the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be;

(f) all remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this Act including the manner of filing an appeal to the Commission;

(g) the provisions providing for the voluntary disclosure of categories of records in accordance with section 4;

(h) the notices regarding fees to be paid in relation to requests for access to an information; and

(i) any additional regulations or circulars made or issued in relation to obtaining access to an information in accordance with this Act.

(4) The appropriate Government must, if necessary, update and publish the guidelines at regular intervals.

27. (1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under sub-section (4) of section 4;

(b) the fee payable under sub-section (1) of section 6;

- (c) the fee payable under sub-sections (1) and (5) of section 7;
- (d) the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees under sub-section (6) of section 13 and sub-section (6) of section 16;
- (e) the procedure to be adopted by the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, in deciding the appeals under sub-section (10) of section 19; and
- (f) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

28. (1) The competent authority may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (i) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under sub-section (4) of section 4;
- (ii) the fee payable under sub-section (1) of section 6;
- (iii) the fee payable under sub-section (1) of section 7; and
- (iv) any other matter which is required to be, or may be, prescribed

29. (1) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(2) Every rule made under this Act by a State Government shall be laid, as soon as may be after it is notified, before the State Legislature.

Laying of rules.

30. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

Repeal

31. The Freedom of Information Act, 2002 is hereby repealed. 5 of 2003

THE FIRST SCHEDULE **[See sections 13 (3) and 16(3)]**

Form of oath or affirmation to be made by the Chief Information

Commissioner/the Information Commissioner/the State Chief Information Commissioner/the State Information Commissioner

"I,, having been appointed Chief Information Commissioner /Information Commissioner / State Chief Information Commissioner / State Information Commissioner swear in the name of God

solemnly affirm

that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws."

THE SECOND SCHEDULE

(See section 24)

Intelligence and security organisation established by the Central Government

1. Intelligence Bureau.
2. Research and Analysis Wing of the Cabinet Secretariat.
3. Directorate of Revenue Intelligence.
4. Central Economic Intelligence Bureau.
5. Directorate of Enforcement.
6. Narcotics Control Bureau.
7. Aviation Research Centre.
8. Special Frontier Force.
9. Border Security Force.
10. Central Reserve Police Force.
11. Indo-Tibetan Border Police.
12. Central Industrial Security Force.
13. National Security Guards.
14. Assam Rifles.
15. Special Service Bureau
16. Special Branch (CID), Andaman and Nicobar.
17. The Crime Branch-C.I.D.-CB, Dadra and Nagar Haveli.
18. Special Branch, Lakshadweep Police.

मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, २००५

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (क्रमांक—२२ सन् २००५) की २७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं,

नियम

अध्याय—१

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ— (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, २००५ है।

(२) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

२. परिभाषायें :— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' — से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (क्रमांक—२२ सन् २००५)

(ख) 'गरीबी रेखा के नीचे' से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश राज्य के वह नागरिक जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो:

(ग) 'लागत' से अभिप्रेत है कि अधिनियम की धारा २ के खण्ड (एफ) में यथापरिभाषित सूचना को प्रदान करने के लिये देय लागत:

(घ) 'फीस' से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत देय फीस:

(ङ) 'प्रारूप' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप:

(च) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा:

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द जो परिभाषित नहीं किए गए हैं उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम की धारा २ में परिभाषित किए गए हैं।

अध्याय—२

फीस

३. (१) अधिनियम की धारा—४ की उपधारा (४) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है दस रुपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के

साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा यदि आवेदन डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है तो आवेदक दस रूपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प संलग्न करेगा। (२) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु की छपाई खर्च या मीडियम या वास्तविक मूल्य जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाए नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में आवेदक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करेगा। आवेदक द्वारा यदि राशि नगद जमा की जाती है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद प्रदाय की जाएगी। ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान द्वारा जमा की जाएगी।

४. धारा ६ की उपधारा (१) तथा धारा ७ की उपधारा (१) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, यथा स्थिति संबंधित राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दस रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

५. (१) अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (५) के अंतर्गत जहाँ सूचना की पहुँच छपे हुए (मुद्रित) या वास्तविक लागत जैसा की यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, निर्देश देने के तीन दिवस के अंदर जमा करेगा।

(२) यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षक करना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी इस प्रयोजन के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को नियत करेगा तथा इस प्रयोजन हेतु प्रथम घण्टे अथवा उससे कम समय के लिए रू० ५०— (रूपये पचास) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक १५ मिनट अथवा उससे कम समय के लिए रू. २५— (रूपये पच्चीस) के मान से शुल्क नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में आवेदक, जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, भुगतान करेगा।

(३) यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणिक नमूना लेना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस नमूने की निर्धारित लागत आवेदक ऐसे अधिकारी को, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप से जमा करेगा।

(४) जहाँ ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्यूटर में किया गया है तो ऐसी सूचना के डिस्कट्स या फ्लॉपी या टेप या वीडियो या कैसेट की वास्तविक लागत जैसा कि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, आवेदक द्वारा या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करेगा।

अध्याय — ३

वेतन तथा सेवा शर्तें

६. अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (६) के अंतर्गत पदस्थ किए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वही वेतन तथा भत्ते देय होंगे जैसा कि वे पदस्थ होने के पूर्व से प्राप्त कर रहे थे तथा उनकी सेवाओं के लिए वही नियम लागू होंगे जो उनको पदस्थ होने के पूर्व लागू थे।

अध्याय — ४

अपील

७. (१) प्रथम अपील— यदि कोई व्यक्ति धारा ७ की उप—धारा (१) अथवा उप—धारा (३) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा राज्य लोक सूचना

अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्त के तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो को अपील, अपील के ज्ञापन के साथ ५०— (पचास रूपए) के शुल्क या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा। परंतु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

(२) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, सूचना के आधार की विषय वस्तु सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम के साथ प्राधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(३) उपनियम (१) के अंतर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसे विस्तारित कालावधि के भीतर जो फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालीस दिवस से अधिक नहीं हो

यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी।

(४) अपील में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क अपीलार्थी को प्रदाय की जाएगी।

८. (१) द्वितीय अपील— नियम ७ के उप नियम (३) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को इस तारीख से ९० दिनस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी। जिस तारीख को अनिश्चित पारित हो गया होना चाहिए अथवा उस तारीख से जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है। परंतु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपीलन प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है।

(२) राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रूपये १००— (रूपये सौ) की फीस नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा।

(३) राज्य सूचना आयोग द्वारा यथास्थिति लोक अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से ३० दिवस के भीतर लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा।

(४) राज्य सूचना आयोग के विनिश्चय की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीन दिवस के अंदर भेजी जाएगी।

(५) राज्य सूचना आयोग के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी परंतु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीन दिवस के अंदर भेजी जाएगी।

९. नियम ७ एवं ८ के अंतर्गत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं से प्रभारित नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-24/05/1/9 भोपाल, दिनांक 13/09/2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त संभागयुक्त

समस्त कलेक्टर,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,

मध्यप्रदेश ।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 का क्रियान्वयन ।

संदर्भ : सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.06.2005, दिनांक 16.08.2005, दिनांक 5.09.2005 एवं दिनांक 16.09.2005 ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुछ विभागों /अधिकारियों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक प्राधिकारी घोषित किए जावेंगे ! इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए लोक प्राधिकारी घोषित नहीं किये जावेंगे ।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा -2 'एच' के तहत लोक प्राधिकारी की निम्न परिभाषा दी गई है :-

**"Public authority" means any authority or body or institution of self government established or constituted-
(a) by or under the Constitution:**

(b) by any other law made by Parliament;

(c) by any other law made by State Legislator;

(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any -

(i) body owned, controlled or substantially financed:

(ii) non-government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

अतः अधिनियम की धारा 2 'एच' में लोक प्राधिकारी का अर्थ स्पष्ट है। प्रत्येक विभाग लोक प्राधिकारी है एवं यदि विभाग आवश्यक समझता है तो वह अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोक प्राधिकारी घोषित कर सकता है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5'1' एवं '2' के अंतर्गत 100 दिवस के अंदर समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाना अनिवार्य है। दिनांक 22.09.2005 को 100 दिवस पूर्ण हो जायेंगे। अतः दिनांक 22.09.2005 के पूर्व लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति आपके विभाग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, अधीनस्थ संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड स्तर के कार्यालयों एवं विभाग से संबंधित संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएं, निगम मंडल, बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत, स्थानीय संस्थाएं में की जाना अनिवार्य है। विभाग द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही से कई विभागों ने अवगत नहीं कराया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला एवं संभाग स्तर पर अभी तक नियुक्ति नहीं की है।

4. सूचना के अधिकार के संबंध में भारत सरकार द्वारा एक हेण्डबुक का मॉडल प्रारूप तैयार किया गया है :- **"Template for the information Handbook under Right to Information Act"** यह प्रारूप वेबसाइट **"<http://persmin.nic.in/RT1/RT1-Templates.pdf>"** में उपलब्ध है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत मैन्युअल की जानकारी एवं अन्य समस्त जानकारी कम्प्यूटर (enabling software ds lkFk) 'कृतिदेव फोन्ट' में ही रखी जाए। यह जानकारी सामयिक रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. विभाग के वेबसाइट में संभाग/जिलों/तहसील/विकासखंड आदि कार्यालयों की जानकारी का भी प्रावधान किया जावे ताकि इन कार्यालयों को पृथक से वेबसाइट बनाने एवं उस पर अधिक व्यय होने से बचा जा सके।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के समस्त प्रावधानों की पूर्ण जानकारी संभाग, जिला, अनुविभाग, तहसील, विकासखंड, ग्रामपंचायत, स्तर तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने हेतु कमिश्नर एवं कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्वोच्च प्राथमिकता पर तत्काल आयोजित किया जाए तथा विभाग को जानकारी दी जाए। प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेख भी संघारित कर रखे जाए।

8. उपरोक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाकर दिनांक 22.09.2005 के पूर्व विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(खुशीराम) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-५) विभाग

क्रमांक : प.९(२३)गृह-५/२००५ जयपुर, दिनांक : ३-१०-२००५

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ दिनांक १५ जून, २००५ से प्रभावशील हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) एवं धारा १२, १३, १५, १६, २४, २७, २८ की उपधाराएँ (१) एवं (२) तत्काल प्रभाव में आ गयी है। शेष प्रावधान अधिनियम बनने की तिथि से १२०वें दिन अर्थात् १२ अक्टूबर, २००५ से लागू होंगे। अधिनियम की प्रति संलग्न है। उक्त अधिनियम द्वारा जहाँ प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार दिया गया है वही राज्य के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किया जा रहा राजकीय कार्य में पारदर्शिता लाने एवं

उनका उत्तरदायित्व निर्धारण करने की व्यवस्था की गई है। इसलिये इस अधिनियम की सफल क्रियान्विति का हम सभी का दायित्व है।

इस अधिनियम के राज्य में क्रियान्विति के सन्दर्भ में पूर्व में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर आपको समय सीमा के अन्तर्गत ही अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु निर्देश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्तर पर अ.शा. टीप दिनांक ११-९-२००५ के माध्यम से कतिपय शंकाओं का समाधान किया जाकर आपसे अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने हेतु आग्रह किया गया था।

आपके स्तर पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोपेक्षित निम्नांकित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर ली गई होंगी :
—

१. अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड 'बी' में अंकित अपेक्षित निदेशिका(मैनुअल) का संधारण किया जाकर उन्हें प्रकाशित किया जाना। (मार्गदर्शन हेतु मैनुअल का प्रारूप संलग्न है)

२. आपके अधीन कार्यरत समस्त लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) के स्तर पर अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाना एवं अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाना।

३. प्रत्येक लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) के सन्दर्भ में अपील अधिकारी की नियुक्ति किया जाना। राज्य के स्तर पर यह उपयुक्त समझा गया है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में यथावर्णित प्रत्येक विभागाध्यक्ष के अधीन विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक संस्थान लोक प्राधिकरण (**Public Authority**) रहेगा एवं निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नियुक्त किये जावेंगे :—

क्र.सं. लोक प्राधिकरण राज्य लोक सूचना अधिकारी अपील अधिकारी

१. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम २ (**xvii**) के संदर्भ में परिशिष्ट ८ में यथा उल्लेखित

विभागाध्यक्षों की सूची अनुसार विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी विभागाध्यक्ष

२. जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अधिकरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्रमुख

३. पंचायत समिति विकास अधिकारी प्रधान

४. ग्राम पंचायत सचिव सरपंच

५. राज्य उपक्रम/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के

अधिनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी

६. जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास

सचिव, ज.वि.प्रा./सचिव, नगर सुधार न्यास आयुक्त, ज.वि.प्रा./अध्यक्ष अथवा

प्रशासक, नगर सुधार न्यास

७. नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी महापौर/सभापति/

अध्यक्ष

८. विश्वविद्यालय — कुलसचिव कुलपति

९. राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित सहकारी संस्था/समिति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष

सभी प्रशासनिक विभाग लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के साथ-साथ सहायक लोक सूचना

अधिकारियों की नियुक्ति उपखण्ड स्तर पर सुनिश्चित करायेंगे। यदि किसी लोक प्राधिकरण की उपखण्ड स्तर पर कोई शाखा नहीं है ऐसे मामलों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को सहायक लोकसूचना अधिकारी नियुक्त किया जावेगा।

शासन सचिवालय के लिये राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिए प्रमुख शासन सचिव/शासन

सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग होंगे तथा अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव(विकास) होंगे।

राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सूचना आयोग के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने से जन सामान्य द्वारा सूचनायें प्राप्त हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जावेंगे जिन पर निश्चित समयवधि के अन्दर ऐसे आवेदनों पत्रों का निस्तारण आवश्यक है। इसकी पालना नहीं करने पर लोक सूचना अधिकारी की त्रुटि मानते हुये ऐसे अधिकारी के विरुद्ध शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः

प्रत्येक स्तर पर इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

(वी.एस. सिंह)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-५) विभाग

क्रमांक : एफ.१(२३)ग्रुप-५/२००५ जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, १९५६ (१९५६ का अधिनियम सं. २७) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में “राजस्थान राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स, २००५”, जो राजस्थान राजपत्र भाग ४ (ग) उप-खण्ड (I) के असाधारण विशेषांक दिनांक १३-१०-२००५ में प्रकाशित हुए हैं, का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, २००५

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (२००५ का केन्द्रीय अधिनियम सं. २२) की धारा २७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (१) इन नियमों का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, २००५ है।
(२) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
२. परिभाषाएँ .— (१) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
(क) “अधिनियम” से सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (२००५ का केन्द्रीय अधिनियम सं. २२), अभिप्रेत है;

(ख) “आयोग” से राजस्थान सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(२) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

३. आवेदन फीस .— धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के किसी अनुरोध के साथ, समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में दस रुपये की आवेदन फीस दी जायेगी।

४. सूचना देने के लिए फीस .— (१) धारा ७ की उप-धारा (१) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी :-

(क) बनाये गये या नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-४ या ए-३ आकार के कागज में) के लिए दो रुपये;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) सैम्पल या माडल के लिए वास्तविक लागत कीमत और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, प्रथम घण्टे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट या उसके भाग के लिए पांच रुपये की फीस।

(२) धारा ७ की उप-धारा (५) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी :-

(क) डिस्क या फ्लोपी में दी गयी सूचना के लिए प्रति डिस्क या फ्लोपी पचास रुपये; और

(ख) मुद्रित रूप में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन से उद्धरणों की फोटोप्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये।

५. अपील की अन्तर्वस्तु .— आयोग को की जाने वाली अपील में निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(i) अपीलार्थी का नाम और पता;

(ii) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता;

(iii) संख्यांक और दिनांक सहित आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील की गयी है;

(iv) अपील किये जाने के संक्षिप्त तथ्य;

(v) प्रार्थना या अनुतोष के आधार;

(vi) अधिनियम या नियमों के उपबंध;

(vii) प्रार्थना या चाहा गया अनुतोष;

(viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन; और

(ix) कोई भी अन्य सूचना जो आयोग अपील को विनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।
६. अपील के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज .— आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे, अर्थात् :-

- (i) उस आदेश की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है;
- (ii) अपीलार्थी द्वारा अवलम्ब लिये गये और अपील में निर्देशित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां; और
- (iii) अपील में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।

७. अपील विनिश्चित करने की प्रक्रिया .— अपील विनिश्चित करते समय आयोग —

- (i) संबंधित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथपत्र पर मौखिक और लिखित साक्ष्य पर विचार करेगा;
- (ii) दस्तावेजों, लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण करेगा;
- (iii) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और व्यौरों या तथ्यों की जाँच करेगा;
- (iv) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को सुनेगा जिसने प्रथम अपील को विनिश्चित किया है;
- (v) अन्य व्यक्ति को सुनेगा; और
- (vi) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का विनिश्चय किया है या अन्य व्यक्ति से शपथपत्र पर साक्ष्य अभिप्राप्त करेगा।

८. आयोग द्वारा नोटिस की तामील .— आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (i) पक्षकार द्वारा स्वयं तामील करके;
- (ii) आदेशिका तामीलकर्ता के जरिए दस्ती परिदान करके;
- (iii) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा।

९. आदेश का हस्ताक्षरित किया जाना .— खुली कार्यवाहियों में सुनाया गया आयोग का आदेश लिखित में होगा और रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
(वी.एस. सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-५) विभाग

क्रमांक : एफ.९(२३)गृह-५/२००५ जयपुर, दिनांक : १५-१०-२००५

अधिसूचना

जी.एस.आर. — सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (२००५ का केन्द्रीय अधिनियम सं. २२) की धारा २४ की उप-धारा (४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा स्थापित निम्नलिखित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- (i) राज्य विशेष शाखा
- (ii) जिला विशेष शाखा
- (iii) राजस्थान पुलिस का विशेष अपराध और आर्थिक अपराध विंग

राज्यपाल के आदेश से,
(जी.एल. गुप्ता)
उप शासन सचिव

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training)

.....

New Delhi, dated the 11th October, 2005

S. 0. (E) --In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby constitute a body to be known as the Central

Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under the said Act.

2. The Central Information Commission shall consist of the following,

namely:-

1. Shri Wajahat Habibullah .Chief Information Commissioner.
2. Shri A.N. Tiwari Information Commissioner.
3. Shri O.P. Kejariwal Information Commissioner.
4. Shri M.M. Ansari Information Commissioner.
5. Smt. Padma Balasubramanian Information Commissioner.

3. The Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall be for a term of five years or the date on which they attain the age of **sixty-five years** whichever is earlier from the date on which they enter upon their office.

(T. Jacob)

Joint Secretary to the Government of India

PRESS COMMUNIQUE

In pursuance of Section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government has constituted the Central Information Commission consisting of the following, namely :-

1. Shri Wajahat Habibullah ..Chief Information Commissioner
2. Shri A.N. Tiwari ..Information Commissioner
3. Shri O.P. Kejariwal ..Information Commissioner
- Shri M.M. Ansari 4. . . Information Commissioner
5. Smt. Padma Balasubramanian . . Information Commissioner

Office of the Central Information Commission is presently located at :-
Block No. 4, (5th Floor),
Old JNU Campus,
New Delhi - 11 0 067.

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)
New Delhi, Dated the 13 October, 2005

Office of the Central Information Commission is presently located at
Block No. 4, (5th Floor),
Old JNU Campus,
New Delhi - 11 0 067.

No. 34012/13(S)/2005-Estt. (B)
Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

.....
New Delhi, Dated the 6th October, 2005

OFFICE MEMORANDUM

Sub. : **Designation of Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) by the public authorities under Section 5 (2) of the Right to Information Act, 2005.**

The under signed is directed to say that Section 5 (2) of the Right to Information Act, 2005 provides that every public authority shall designate an officer within 100 days of the enactment of this Act, at each sub-divisional or other sub-district level as a Central Assistant Public

Information Officer to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission, as the case may be.

2. Since a number of public authorities do not have offices located at each sub-divisional level or sub-district level, the matter was taken up with the Department of Posts to provide the services of their Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to function in that capacity for all public authorities under the Central Government.

3. In this connection Department of Posts require urgently the addresses of the nodal officers/central point in each Ministry/Organisation in need of their services as CAPIOs. The Department of Posts have also indicated that they will be in a position to undertake the work only on behalf of those Ministries who have completed this action and have informed them of the same. Ministries/Departments are, therefore, requested to indicate the details of the Central Public Information Officers designated by them as well as the nodal officers/central point in their Department to receive the RTI mails (application etc. forwarded by the CAPIOs) **to the Department of Posts** urgently.

4. Ministries/Departments are also requested to bring the above position to the notice of other public authorities coming under the preview of the Ministries/Departments concerned for urgent action by them.

(T.Jacob)

Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (Secretaries by name).

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training)

New Delhi, Dated the 16 September, 2005

Notification

In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement -

(1) These rules may be called

the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions -

In the rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005;

(b) 'section' means section of the Act;

(c) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. A request for obtaining information under sub-section (1) of section 6 shall be accompanied by an application fee of rupees ten by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority.

4. For providing the information under sub-section (1) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates:-

(a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copied;

(b) actual charge or cost price of a copy in larger size paper;

(c) actual cost or price for samples or models; and

(d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each fifteen minutes (or fraction thereof) thereafter.

5. For providing the information under sub-section (5) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates:-

(a) for information provided in diskette or floppy rupees fifty per diskette or floppy; and

(b) for information provided in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, dated the 27th October, 2005

Notification

G.S.R.....(E)._ In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :-

- 1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) (Amendment) Rules, 2005. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.**
 - 2. In the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, in rule 4, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely.- "(d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each subsequent hour (or fraction thereof)."**
- [F.No. 34012/8(s)/2005-Estt. (B)]

(T.Jacob)

Joint Secretary to the Government of India

Note.- The Principal rules were published in the Gazette of India vide Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) notification No. 34012/8(s)/2005-Estt. (B) dated 16th September, 2005 [G.S.R. No. 336 dated 1st October, 2005, Part II, section 3, sub-section (i)]

(T.Jacob)

Joint Secretary to the Government of India

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

New Delhi dated 28th October, 2005

Notification

GSR.....(E)._ In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Information Commission (Appeal Procedure) Rules, 2005. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.**
- 2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires,-**
 - (a) "Act"** means the Right to Information Act, 2005;
 - (b) "section"** means section of the Act;
 - (c) "Commission"** means the Central Information Commission;
 - (d)** words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.
- 3. Contents of appeal.-An appeal to the Commission shall contain the following information,namely :-**
 - (i) name and address of the appellant;
 - (ii) name and address of the Central Public Information Officer against the decision of whom the appeal is preferred;
 - (iii) particulars of the order including number, if any, against which the appeal is preferred;
 - (iv) brief facts leading to the appeal
 - (v) if the appeal is preferred against deemed refusal, the particulars of the application, including number and date and name and address of the Central Public Information Officer to whom the application was made;
 - (vi) prayer or relief sought;
 - (vii) grounds for the prayer or relief;
 - (viii) verification by the appellant; and
 - (ix) any other information which the Commission may deem necessary for deciding the appeal.

4. Documents to accompany appeal.- Every appeal made to the Commission shall be accompanied by the following documents, namely :-

- (i) self-attested copies of the Orders or documents against which the appeal is being preferred;
- (ii) copies of documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal; and
- (iii) an index of the documents referred to in the appeal.

5. Procedure in deciding appeal.- In deciding the appeal the Commission may,-

- (i) hear oral or written evidence on oath or on affidavit from concerned or interested person;
- (ii) peruse or inspect documents, public records or copies thereof;
- (iii) inquire through authorised officer further details or facts;
- (iv) hear Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer or such Senior Officer who decide the first appeal, or such person against whom the complaint is made, as the case may be;
- (v) hear third party; and
- (vi) receive evidence on affidavits from Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, such Senior Officer who decided the first appeal, such person against whom the complaint lies or the third party.

6. Service of notice by Commission.- Notice to be issued by the Commission may be served in any of the following modes, namely :-

- (i) service by the party itself;
- (ii) by hand delivery (dasti) through Process Server;
- (iii) by registered post with acknowledgement due; or
- (iv) through Head of office or Department.

7. Personal presence of the appellant or complainant.- (1) The appellant or the complainant, as the case may be, shall in every case be informed of the date of hearing at least seven clear days before that date.

(2) The appellant or the complainant, as the case may be, may at his discretion at the time of hearing of the appeal or complaint by the Commission be present in person or through his duly authorised representative or may opt not to be present.

(3) Where the Commission is satisfied that the circumstances exist due to which the appellant or the complainant, as the case may be, is being prevented from attending the hearing of the Commission, then, the Commission may afford the appellant or the complainant, as the case may be, another opportunity of being heard before a final decision is taken or take any other appropriate action as it may deem fit.

(4) The appellant or the complainant, as the case may be, may seek the assistance of any person in the process of the appeal while presenting his points and the person representing him may not be a legal practitioner.

8. Order of the Commission.- Order of the Commission shall be pronounced in open proceedings and be in writing duly authenticated by the Registrar or any other officer authorised by the Commission for this purpose.

[F.No. 1/4/2005-IR]

(T.Jacob)

Joint Secretary to the Government of India

No. 1/4/2005-IR New Delhi, dated the 28th October, 2005.

प्रश्नोत्तरी

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५

जिज्ञासा एवं समाधान

सूचना का अधिकार

१. सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावशील है? इसमें किस-किस को अधिकार मिलेंगे?
उत्तर— सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ दिनांक १५ जून, २००५ से कानून का रूप ले चुका है। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम २००२ निरस्त हो गया है। इसके कतिपय प्रावधान उसी तिथि से प्रभाव में आ गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में यह अधिनियम पूर्ण रूप से १२ अक्टूबर, २००५ से लागू हो गया है।

१.२. क्या सरकारी गोपनीयता अधिनियम के बावजूद यह अधिनियम प्रभावी है ?

उत्तर—सरकारी गोपनीयता अधिनियम, १९२३ और अन्य किसी कानून के प्रावधानों के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी है।

१.३ केन्द्रीय अधिनियम के प्रभावशील हो जाने पर, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने पूर्व सूचना कानूनों के निरसन बाबत नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है।

१.४ इस अधिनियम द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

२. सूचना से क्या तात्पर्य है?

उत्तर—सूचना किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, मीमो, ई-मेल, विचार, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लोग बुक्स, संविदा, प्रतिवेदन, कागजात, बानगी, नमूने, किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी सामग्री एवं निजी संकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून में प्राप्त की जा सकती है, सम्मिलित है।

२.२ इसमें राजकीय पत्रावली पर की गई टिप्पणी सम्मिलित नहीं है। (संदर्भ:— भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट)

३. अभिलेख में क्या-क्या शामिल है?

३.१ अभिलेख में निम्न शामिल हैं;

(क) कोई भी दस्तावेज, पाण्डुलिपि एवं पत्रावली;

(ख) किसी भी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे एवं प्रतिलिपि;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में साकारित चित्र का पुनरुत्पादन; और

(घ) कम्प्यूटर या अन्य विधि से तैयार की गई अन्य सामग्री।

४. सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य है?

४.१ सूचना का अधिकार का अर्थ लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण की सूचना की पहुंच तक के अधिकार से है। इसमें निम्न अधिकार सम्मिलित हैं:—

(क) कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां या सारांश या उद्धरण या टिप्पण लेना;

(ग) सामग्री के प्रमाणित नमूने (बानगी) लेना;

(घ) यदि सूचना कम्प्यूटर व अन्य तरीके से रखी गई है तो डिस्कट्स, फ्लोपीज, टेप्स, विडियो कैसेट्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके या प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करना।

लोक प्राधिकरण, अधिकारीगण एवं उनके कर्तव्य

५. लोक प्राधिकरण का क्या अर्थ है?

५.०१ इसका अर्थ किसी ऐसे प्राधिकरण, निकाय या स्व-शासित संस्थान से है जो

(क) संविधान के अन्तर्गत या द्वारा,

(ख) संसद के बनाए हुए अन्य कानून द्वारा,

(ग) विधानसभा के बनाए हुए अन्य कानून द्वारा,

(घ) सरकार के आदेश या विज्ञप्ति द्वारा स्थापित या गठित है। इसमें समुचित सरकार के स्वामित्व के, नियंत्रित या पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित निकाय, एवं समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन शामिल है।

६. लोक प्राधिकरण के क्या कर्तव्य हैं?

६.१ हर लोक प्राधिकरण अपने समस्त अभिलेखों को भली प्रकार से श्रेणीबद्ध एवं सूचीबद्ध कर इस प्रकार एवं इस रूप में संधारित करेगा कि सूचना का अधिकार सुगम हो जावे। अपने स्रोतों की प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए, कम्प्यूटीकृत किए जाने योग्य समस्त अभिलेखों का, युक्तियुक्त समय में कम्प्यूटरीकरण एवं सम्पूर्ण देश में विभिन्न तरीकों से नेटवर्क से जुड़ाव सुनिश्चित करेगा ताकि अभिलेखों

तक पहुंच सुगम हो जावे। इसके अतिरिक्त लोक प्राधिकरण को विभिन्न सूचनाएँ भी आवश्यक रूप से प्रकाशित करनी होंगी।

७. लोक प्राधिकरण द्वारा क्या सूचनायें प्रकाशित करना आवश्यक है?

७.१ हर लोक प्राधिकरण १२ अक्टूबर, २००५ से पूर्व निम्न सूचना प्रकाशित करेगा :

- (क) अपने संगठन, कृत्यों एवं कर्तव्यों का विवरण;
- (ख) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य;
- (ग) निर्णय लेने की प्रक्रिया मय पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली विधि;
- (घ) कार्य निर्वहन के लिए स्थापित मानक;
- (च) अपने पास या अपने नियंत्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य निपटाने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निदेशिका एवं अभिलेख;
- (छ) अपने पास या अपने नियंत्रण में रखे हुए दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण;
- (ज) अपनी नीति निर्धारण या उसके कार्या के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण;
- (झ) राय प्राप्ति हेतु अपने द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों के मण्डलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण और यह विवरण भी कि आया उनकी बैठक जन साधारण के लिए खुली है या उनकी बैठकों का कार्यवाही वृत्त जनता की पहुंच योग्य है;
- (ट) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका;
- (ठ) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्धति;
- (ड) अपने विभिन्न अभिकरणों को आवंटित बजट मय योजना विवरण, प्रस्तावित व्यय एवं धन वितरण का विवरण;
- (ढ) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रीति मय आवंटित राशि एवं उससे लाभान्वितों का विवरण;
- (न) अपने द्वारा स्वीकृत रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकार प्राप्त करने वालों का विवरण;
- (त) इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई, संधारित या उपलब्ध सूचनाओं का विवरण;
- (थ) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, यदि जनता के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय संधारित है तो उसके खुले रहने का समय विवरण;
- (द) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण;
- (ध) अन्य सूचना जो निर्धारित की जावे।

७.२ इसके पश्चात् प्रतिवर्ष इन सूचनाओं को आदिनांक कर प्रकाशित करेगा।

७.३ हर लोक प्राधिकरण नीति निर्धारण या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों से सम्बन्धित समस्त सुसंगत तथ्यों का प्रकाशन करेगा।

७.४ हर लोक प्राधिकरण अपने प्रशासनिक या अर्द्ध न्यायिक निर्णयों के लेने के कारणों को प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध करावेगा।

८. क्या लोक प्राधिकरण को सूचना को व्यापक रूप से प्रसारित करना चाहिए?

८.१ प्रत्येक लोक प्राधिकरण नियमित अन्तराल पर स्वतः इन्टरनेट सहित विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए पूर्व वर्णित सूचना जनता को उपलब्ध कराने के लिए अनवरत प्रयास करेगा ताकि सूचना प्राप्ति के लिए जनता इस अधिनियम के उपयोग पर कम से कम आश्रित रहे।

८.२ हर सूचना को व्यापक रूप से ऐसे प्रारूप और प्रकार से उपलब्ध कराया जावे कि वह आसानी से जनता की पहुंच योग्य हो।

८.३ समस्त सूचना सामग्री को लागत, स्थानीय भाषा, स्थानीय क्षेत्र के अधिकतम प्रभावी संचार माध्यम के तरीके को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराया जावे। लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में निःशुल्क या माध्यम अथवा प्रिन्ट लागत मूल्य पर जहां तक सम्भव हो, सहज में पहुंच योग्य होनी चाहिये। (सूचना जनता को सूचना पटलों, समाचार पत्रों, जन घोषणाओं, मीडिया, प्रसारणों, इन्टरनेट या अन्य माध्यमों मय जन प्राधिकरण के कार्यालयों के निरीक्षण द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।)

९.० लोक सूचना अधिकारी कौन होते हैं?

९.१ लोक सूचना अधिकारी लोक प्राधिकरण द्वारा अपनी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में मनोनीत वे अधिकारी हैं जो आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध करावेंगे। लोक प्राधिकरण इतने अधिकारी मनोनीत करेंगे जितनी आवश्यकता है। केन्द्रीय कार्यालयों में उन्हें केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य के कार्यालयों में राज्य लोक सूचना अधिकारी कहा जावेगा। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी में केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी में राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी सम्मिलित है। उनका मनोनयन २२ सितम्बर, २००५ से पूर्व होना आवश्यक है।

१०.०२ प्रत्येक लोक प्राधिकरण उप खण्ड स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी का मनोनयन भी उक्त तिथि से पूर्व सूचना आवेदन या अपील को प्राप्त कर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी (अपील अधिकारी) या सम्बन्धित सूचना आयोग को अग्रप्रेषित करने के लिए करेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि सूचना आवेदन पत्र या अपील केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत की गई है तो उसके निस्तारण की अवधि ५ दिन अधिक हो जावेगी।

१०.०३ लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्य के उचित प्रकार से निर्वहन हेतु किसी अन्य अधिकारी से आवेदित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सहायता मांग सकता है। ऐसी स्थिति में वह समस्त सहायता देगा और वह अधिकारी भी कानून का उल्लंघन होने पर लोक सूचना अधिकारी माना जावेगा अर्थात् वह भी उतना ही उत्तरदायी होगा जितना लोक सूचना अधिकारी।

१०.०० लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं?

१०.०१ प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी सूचना आवेदनों का निपटारा करेगा।

१०.०२ लोक सूचना अधिकारी जहां आवश्यकता समझे, किसी भी अन्य अधिकारी से अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए सहयोग ले सकता है।

१०.०३ लोक सूचना अधिकारी आवेदक की यथोचित सहायता करेगा। जहां आवेदन लिखित में नहीं दिया जा सकता है, लोक सूचना अधिकारी ऐसे आवेदक को सूचना लिख कर देने में समस्त युक्तियुक्त सहयोग प्रदान करेगा।

१०.०४ यदि लोक सूचना अधिकारी से इन्द्रिय रूप से निःशक्त आवेदक द्वारा किसी अभिलेख या उसके अंश तक पहुंच चाही गई है, तो वह उसे उस सूचना की पहुंच तक या उसके निरीक्षण हेतु समर्थ बनाने के लिए सहायता करेगा।

१०.०५ यदि आवेदित सूचना या आवेदन की विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कृत्यों से सम्बन्धित है तो लोक सूचना अधिकारी उसे या उसका सुसंगत अंश आवेदन प्राप्ति से अधिकतम ५ दिन में सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगा और आवेदक को अविलम्ब सूचित करेगा।

१०.०६ लोक सूचना अधिकारी, आवेदन प्राप्ति पर, जितनी जल्दी सम्भव हो, आवेदन प्राप्ति तिथि से ३० दिन की अवधि में निर्धारित शुल्क पर सूचना उपलब्ध करावेगा अथवा विशिष्ट कारण दर्शाते हुए उसे निरस्त करेगा।

१०.०७ लोक सूचना अधिकारी से किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना चाही गई है, तो वह उसे आवेदन प्राप्ति से ४८ घंटे में उपलब्ध करावेगा।

१०.०८ यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित अवधि में आवेदन पर निर्णय करने में विफल रहता है तो यह माना जावेगा कि उसने आवेदन अस्वीकार कर दिया है।

१०.०९ लोक सूचना अधिकारी आवेदक को उसका आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में निम्न सूचनाएं देगा :

(क) अस्वीकृति के कारण;

(ख) अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध अपील करने की समयावधि; और

(ग) अपील अधिकारी का विवरण।

१०.१० लोक सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाही गई है, उसी में देगा, जब तक इसका गैर अनुपातिक रूप से लोक प्राधिकरण के स्रोतों पर कुप्रभाव न पड़े अथवा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या परिरक्षण के लिए घातक न हो।

१०.११ लोक सूचना अधिकारी आंशिक रूप से सूचना की पहुंच तक की स्वीकृति किए जाने पर आवेदक को इस सम्बन्ध में नोटिस देगा।

१०.१२ लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने से पूर्व उसे नोटिस देगा, उसकी प्रस्तुति आने पर उस पर विचार करेगा।

सूचना का प्रकटीकरण

११.०० क्या नागरिकों को सभी प्रकार की सूचनायें मिल सकती हैं?

११.०१ निम्न सूचना देने की बाध्यता नहीं है —

(क) सूचना, जिसका प्रकटीकरण भारत की प्रभुता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, यौद्धिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी सम्बन्धों के लिए घातक हो या किसी अपराध को प्रेरित करे;

(ख) सूचना जिसका प्रकाशन न्यायालय या ट्रिब्युनल द्वारा स्पष्ट रूप से निषेध हो या जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना करता हो;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन होता हो;

(घ) सूचना मय वाणिज्यिक विश्वास, व्यापारिक गोपनीयता, बौद्धिक सम्पदा जिसका प्रकटीकरण तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को हानि पहुंचावे; परन्तु यदि सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो जावे कि ऐसी सूचना के प्रकटीकरण की व्यापक जनहित में आवश्यकता है, तो सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है;

(ड) सूचना जो किसी व्यक्ति को वैश्वसिक सम्बन्ध में प्राप्त हुई हो परन्तु यदि सक्षम अधिकारी सन्तुष्ट हो जावे कि ऐसी सूचना के प्रकटीकरण की व्यापक जनहित में आवश्यकता है; तो सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है;

(च) विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी भी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाले या विधि के प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए दी गई सहायता या सूचना के स्रोत की पहचान करावे;

(ज) सूचना, जो अन्वेषण की प्रक्रिया, अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन में अवरोधक हो;

(झ) मंत्रिमण्डलीय कागजात मय मंत्रिपरिषद्, सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के मध्य हुए विचार विमर्श का अभिलेख लेकिन मंत्रिपरिषद् के निर्णय, ऐसे निर्णय लेने के कारण, निर्णय के लिए आधारभूत समाग्री को निर्णय के पश्चात् एवं मामले के पूर्ण या समाप्त हो जाने के बाद सार्वजनिक करना होगा; लेकिन अधिनियम में दी गई छूट से सम्बन्धित प्रकरण प्रकट नहीं किये जावेंगे;

(म) वैयक्तिक सूचना, जिसके प्रकटीकरण का किसी भी लोक क्रिया—कलाप से कोई सम्बन्ध न हो या जो किसी व्यक्ति की एकान्तता में अनुचित हस्तक्षेप करे; लेकिन यदि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी संतुष्ट हो जावे कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण व्यापक जनहित में न्यायोचित है, तो सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है एवं जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं की जा सकती है, उसको देने के लिए मना नहीं किया जावेगा।

११.०२ लोक प्राधिकरण ऐसी सूचना, जिसका प्रकटीकरण जनहित में सुरक्षित हितों के महत्व से बढ़कर मानता है तो सरकारी गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम में दी गई छूटों के बावजूद सूचना देने की स्वीकृति दे सकता है।

११.०३ ऊपर वर्णित (क), (ग) एवं (झ) के अधीन किसी वाकिया, घटना या प्रकरण जो आवेदन तिथि से २० वर्ष पूर्व घट चुका है, से सम्बन्धित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई जावेगी। २० वर्ष की अवधि की गणना हेतु प्रारम्भिक तिथि का प्रश्न उत्पन्न होने पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा, परन्तु इस निर्णय की अपील की जा सकेगी।

१२.०० क्या आंशिक प्रकटीकरण स्वीकृत किया जा सकता है?

१२.०१ यदि प्रकटीकरण की छूट से सम्बन्धित सूचना होने के आधार पर सूचना की पहुंच हेतु दिया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है तो अभिलेख के उस भाग तक पहुंच उपलब्ध कराई जा सकती है

(क) जिसमें प्रकटीकरण से छूट से सम्बन्धित सूचना नहीं है; और

(ख) जिसे प्रकटीकरण से छूट सम्बन्धी भाग से युक्तियुक्त रूप से अलग किया जा सकता है।

१२.०२ लोक सूचना अधिकारी आंशिक सूचना उपलब्ध कराने की स्वीकृति की स्थिति में आवेदक को निम्न प्रकार से सूचित करते हुए नोटिस देगा:—

(क) वांछित अभिलेख का केवल वही अंश उपलब्ध कराया जा रहा है जो सूचना प्रकटीकरण से छूट सम्बन्धी अभिलेख से अलग किया जा सका है;

(ख) निर्णय के कारण एवं जिस सामग्री के आधार पर निचोड़ निकाला गया है, उसका संदर्भ देते हुए तथ्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निष्कर्ष;

(ग) निर्णयकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम;

(घ) गणना किए गए शुल्क का विवरण एवं आवेदक द्वारा चुकाई जाने वाली शुल्क राशि; और

(ड.) आंशिक सूचना के प्रकटीकरण न करने के निर्णय, शुल्क राशि, सूचना के पहुंच के प्रकार के पुनर्वलोकन सम्बन्धी अधिकार एवं अपने से वरिष्ठ अधिकारी (अपील अधिकारी) अथवा सूचना आयोग, जैसी भी स्थिति हो, समयवधि, प्रक्रिया एवं सूचना की पहुंच का अन्य प्रकार का विवरण।

१३.०० क्या सभी विभाग सूचनाएं देने के लिए बाध्य हैं?

१३.०१ अधिनियम की द्वितीय सूची में वर्णित केन्द्रीय सरकार के आसूचना या गुप्तचर और सुरक्षा से सम्बन्धित निम्न १८ संगठनों या उनके द्वारा सरकार को उपलब्ध कराई गई सूचना इस अधिनियम की सीमा से बाहर है:—

१. आसूचना ब्यूरो,
२. मंत्रिमंडल सचिवालय की अनुसंधान और विश्लेषण शाखा,
३. राजस्व आसूचना निदेशालय,
४. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो,
५. प्रवर्तन निदेशालय,
६. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
७. विमानन अनुसंधान केन्द्र,
८. विशेष सीमान्त बल,
९. सीमा सुरक्षा बल,
१०. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

११. भारत—तिब्बत सीमा पुलिस,
 १२. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल,
 १३. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड,
 १४. असम राइफल्स,
 १५. विशेष सेवा ब्यूरो,
 १६. विशेष शाखा (सी.आई.डी.) अंडमान और निकोबार,
 १७. अपराध शाखा सी.आई.डी.—सी.बी. दादरा और नागर हवेली,
 १८. लक्षद्वीप पुलिस की विशेष शाखा।
 १३.०२ केन्द्रीय सरकार इस अनुसूचि को संशोधित कर सकती है।
 १३.०३ इसी प्रकार राज्य सरकार के उन गुप्तचर और सुरक्षा से सम्बन्धित संगठनों को भी अधिनियम की सीमा से बाहर रखा गया है जिनको राज्य सरकार राजपत्र में समय—समय पर विज्ञापित करेगी।
 १३.०४ परन्तु केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऊपर वर्णित संगठनों की भ्रष्टाचार के आरोपों एवं मानवीय अधिकारों के हनन सम्बन्धी सूचना नहीं रोकी जावेगी।
 १३.०५ मानवीय अधिकारों के हनन सम्बन्धी सूचना केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग की पूर्व अनुमति पश्चात् उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसी सूचना आवेदन प्राप्ति तिथि से ४५ दिन में उपलब्ध कराई जावेगी।
 १४.०० तृतीय पक्ष से क्या तात्पर्य है? तृतीय पक्ष से सम्बन्धित सूचना के प्रकटीकरण की क्या प्रक्रिया है?
 १४.०१ तृतीयपक्ष से तात्पर्य सूचना के लिए आवेदन करने वाले नागरिक से भिन्न व्यक्ति से है; इसमें लोक प्राधिकरण भी सम्मिलित है।
 १४.०२ यदि लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई या उसके द्वारा गोपनीय रखवाई गई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके अंश जो आवेदक द्वारा चाही गई है, को प्रकट करना चाहता है, तो वह तृतीय पक्ष को आवेदन तिथि से ५ दिन में पूर्व वर्णित तथ्यों को बताते हुए लिखित नोटिस देगा कि वह अपनी प्रस्तुति/जबाब लिखित या मौखिक प्रस्तुत करें कि क्या सूचना प्रकट कर दी जावे; उसकी प्रस्तुति जबाब प्राप्त कर प्रकटीकरण बाबत निर्णय करते समय उसे अपने ध्यान में रखेगा।
 १४.०३ विधि संरक्षित व्यापारिक या वाणिज्यिक गोपनीय सूचनाओं के अलावा यदि जन हित में प्रकटीकरण का महत्व तृतीय पक्ष के हित को होने वाले किसी संभावित नुकसान से बढकर है, तो प्रकटीकरण स्वीकार किया जा सकता है।
 १४.०४ तृतीय पक्ष को नोटिस प्राप्ति से १० दिन में प्रस्तावित प्रकटीकरण के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए।
 १४.०५ लोक सूचना अधिकारी ऐसे प्रकरण में आवेदन प्राप्ति की तिथि से ४० दिन में सूचना प्रकटीकरण बाबत निर्णय करेगा और तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत करावेगा और यह भी बतायेगा कि उसे निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार है।
 सूचना आवेदन प्रक्रिया
 १५.०० सूचना हेतु आवेदन प्रक्रिया क्या है?
 १५.०१ आवेदन निम्न प्रकार करना चाहिए:—
 (क) आवेदन लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में शुल्क सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परन्तु जहां आवेदन लिखित में नहीं दिया जा सकता है, लोक सूचना अधिकारी मौखिक रूप से आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसे लिख कर देने में समस्त युक्तियुक्त सहयोग देगा।
 (ख) आवेदन लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 (ग) आवेदन में वांछित सूचना का विवरण होना चाहिए।
 (घ) आवेदक को सूचना प्राप्ति के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, न व्यक्तिगत विवरण देने की। केवल सम्पर्क के लिए आवश्यक विवरण देने की आवश्यकता है।
 (ङ.) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले आवेदकों को छोड़कर शेष आवेदकों द्वारा निर्धारित शुल्क अदा किया जाना चाहिए।
 १६.०० आवेदक को सूचना किस समय सीमा में मिल जावेगी ?
 १६.०१ सूचना उपलब्ध कराने की सीमा निम्न प्रकार है:—
 (क) आवेदन दिनांक से ३० दिन में,
 (ख) किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना ४८ घंटे में;
 (ग) यदि आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया गया है तो सूचना उपलब्ध कराने की अवधि ५ दिन अधिक होगी;
 (घ.) शुल्क राशि और जमा कराने पर यदि सूचना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाता है तो आवेदक को यह निर्णय प्रेषित करने की तिथि से शुल्क राशि प्राप्ति तिथि तक की अवधि ३० दिन की समयावधि में शामिल नहीं होगी;

(ड.) यदि तृतीय पक्ष के हित निहित हैं तो समयावधि ४० दिन है; (इसमें तृतीय पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दी गई १० दिन की अवधि सम्मिलित है।)

(च) मानवीय अधिकारों के हनन के आरोपों सम्बन्धी सूचना केन्द्रीय, सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसी भी स्थिति हो, के पूर्व अनुमोदन पश्चात् ४५ दिन में उपलब्ध कराई जावेगी;

(छ) निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराने में असफलता स्वतः, अस्वीकृति मानी जावेगी।

१७.०० आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

१७.०१ आवेदन शुल्क के बारे में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:—

(क) आवेदन शुल्क निर्धारित किया जावेगा जो युक्तियुक्त होगा।

(ख) यदि अदा किया गया शुल्क कम पाया जाता है, तो आवेदक को कमी की सूचना मय गणना व गणना का तरीका लिखित में शुल्क की कमी पूर्ति के निवेदन के साथ ही जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उसके पुनर्वलोकन के अधिकार अपील अधिकारी के विवरण, समयावधि, प्रक्रिया एवं सूचना की पहुंच का अन्य प्रकार का विवरण भी बताया जाना चाहिए।

(ग) आवेदक लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिए गए शुल्क के निर्णय का उपयुक्त अपील अधिकारी से पुनर्वलोकन करवा सकता है।

(घ) यदि सूचना मुद्रित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है तो निर्धारित शुल्क देना होगा।

(च) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले व्यक्ति से शुल्क नहीं लिया जावेगा।

(छ) यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।

१८.०० सूचना आवेदन किन—किन कारणों से निरस्त किया जा सकता है?

१८.०१ यदि यह सूचना के प्रकटीकरण से झूट में शामिल है।

१८.०२ यदि यह सरकार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के कोपीराइट का उल्लंघन करती है।

सूचना आयोग

१९.०० केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है?

१९.०१ केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा किया जावेगा।

१९.०२ इस आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) केन्द्रीय सूचना आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जावेगी।

१९.०३. मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राष्ट्रपति को की जावेगी। समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का एक मंत्री होगा।

१९.०४ राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति द्वारा उन्हें अपने पद की शपथ निर्धारित प्रपत्र में दिलाई जावेगी।

१९.०५ केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा; परन्तु आयोग केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से देश के अन्य स्थानों में कार्यालय स्थापित कर सकता है।

१९.०६ केन्द्रीय सूचना आयोग का सामान्य अधीक्षण, दिशा निदेश और प्रबन्ध मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होंगे। सूचना आयुक्त उसकी सहायता करेंगे। आयोग किसी अन्य अधिकारी के दिशा निदेश के अधीन नहीं रहते हुए अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करेगा।

२०.०० मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त के पद की पात्रता का मानदण्ड क्या है?

२०.०१ मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त के पद का अभ्यर्थी विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव सहित सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए।

२०.०२ मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य नहीं होगा। उसके पास लाभ का पद, किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध या कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं होगा।

२१.०० मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तें क्या हैं?

२१.०१ मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से ५ वर्ष अथवा ६५ वर्ष की आयु प्राप्ति तक जो भी पहिले हो, के लिए नियुक्त होगा। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

२१.०२ मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें वहीं होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के सेवाकाल में उसके अहित में उनका परिवर्तन नहीं होगा।

२२.०० सूचना आयुक्त का कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तें क्या हैं?

२२.०१ सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से ५ वर्ष अथवा ६५ वर्ष की आयु प्राप्ति तक जो भी पहिले हो, के लिए नियुक्त होगा। वह उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

२२.०२ सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त का पात्र होगा; परन्तु उसका दोनों पदों का कुल कार्यकाल ५ वर्ष से अधिक नहीं होगा।

- २२.०३ सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की हैं। सूचना आयुक्त के सेवाकाल में उसके अहित में उनका परिवर्तन नहीं होगा।
- २३.०० क्या मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और क्या उन्हें हटाया जा सकता है?
- २३.०१ मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी भी समय अपने पद से लिखित में राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है।
- २३.०२ राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त / सूचना आयुक्त को अपने पद से आदेश द्वारा हटा सकते हैं यदि,
- (क) उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है; या
- (ख) उसे ऐसे अपराध का दोषी ठहरा दिया गया जो उनकी (राष्ट्रपति की) राय में नैतिक दुराचरण है; या
- (ग) उसने अपने कार्यकाल में अपने पद सम्बन्धी कर्तव्यों के अलावा स्वयं को संवैतनिक नियोजन में व्यस्त कर लिया है; या
- (घ) वह उनकी (राष्ट्रपति की) राय में मानसिक या शारीरिक अशक्तता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या
- (ङ.) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिए हैं जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो गई है।
- २३.०३ यदि उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति के संदर्भ पर, जांच कर मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को दुराचरण या अक्षमता के आधार पर अपने पद से हटाने का प्रतिवेदन देता है, तो केवल राष्ट्रपति इस प्रमाणित आधार पर उसे अपने पद से अपने आदेश द्वारा हटा सकते हैं।
- २३.०४ यह उल्लेखनीय है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त भारत सरकार के द्वारा या उसकी तरफ से किए गए संविदा या अनुबंध में किसी भी प्रकार से सम्बन्ध या रूचि रखता है, या किसी कम्पनी के सदस्य या अन्य सदस्यों के साथ लाभ प्राप्त करने के अलावा उससे होने वाले लाभ या फायदा या मुनाफा प्राप्त करता है तो वह दुराचरण का दोषी माना जावेगा।
- २३.०५ राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को अपने पद से निलम्बित कर सकते हैं और यदि आवश्यक समझें, तो जांच अवधि में उच्चतम न्यायालय से अपने द्वारा किए गए संदर्भ के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदन पर आदेश पारित करने तक उसे कार्यालय जाने से भी मना कर सकते हैं।
- २४.०० राज्य सूचना आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है?
- २४.०१ राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा किया जावेगा।
- २४.०२ इस आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) राज्य सूचना आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जावेगी।
- २४.०३ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राज्यपाल को की जावेगी। समिति में मुख्यमंत्री के अलावा विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत राज्य मंत्रिमण्डल का एक मंत्री होगा।
- २४.०४. राज्यपाल या उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति द्वारा उन्हें अपने पद की शपथ निर्धारित प्रपत्र में दिलाई जावेगी।
- २४.०५ राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राजपत्र में विज्ञापित स्थान में होगा परन्तु राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से राज्य के अन्य स्थानों में कार्यालय स्थापित कर सकता है।
- २४.०६ राज्य सूचना आयोग का सामान्य अधीक्षण, दिशा निदेश और प्रबन्ध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होंगे। राज्य सूचना आयुक्त उसकी सहायता करेंगे। राज्य सूचना आयोग किसी अन्य अधिकारी के दिशा निदेश के अधीन नहीं रहते हुए अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करेगा।
- २५.०० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के पद की पात्रता का मानदण्ड क्या है?
- २५.०१ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त के पद का अभ्यर्थी विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबन्ध, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव सहित सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए।
- २५.०२ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य नहीं होगा। उसके पास लाभ का पद, किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध या कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं होगा।
- २६.०० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तें क्या हैं?
- २६.०१ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से ५ वर्ष तक अथवा ६५ वर्ष की आयु प्राप्ति तक, जो भी पहिले हो, के लिए नियुक्त होगा। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- २६.०२ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के सेवाकाल में उसके अहित में उनका परिवर्तन नहीं होगा।
- २७.०० राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तें क्या हैं?

२७.०१ राज्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से ५ वर्ष अथवा ६५ वर्ष की आयु प्राप्ति तक, जो भी पहिले हो, के लिए नियुक्त होगा। वह उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

२७.०२ राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा, परन्तु उसका दोनों पदों का कुल कार्यकाल ५ वर्ष से अधिक नहीं होगा।

२७.०३ राज्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य के मुख्य सचिव की हैं। राज्य सूचना आयुक्त के सेवा काल में उसके अहित में उनका परिवर्तन नहीं होगा।

२८.०० क्या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और क्या उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है?

२८.०१ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय अपने पद से लिखित में राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकता है।

२८.०२ राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त को अपने पद से आदेश द्वारा हटा सकते हैं यदि,

(क) उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है; या

(ख) उसे ऐसे अपराध का दोषी ठहरा दिया गया है; जो उनकी (राज्यपाल की) राय में नैतिक दुराचरण है ; या

(ग) उसने अपने कार्यकाल में अपने पद सम्बन्धी कर्तव्यों के अलावा स्वयं को संवैतनिक नियोजन में व्यस्त कर लिया है; या

(घ) वह उनकी (राज्यपाल की) राय में मानसिक या शारीरिक अशक्तता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो गया है; या

(ङ.) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिए हैं जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो गई है।

२८.०३ यदि उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल के संदर्भ पर, जांच कर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को दुराचरण या अक्षमता के आधार पर अपने पद से हटाने का प्रतिवेदन देता है, तो केवल राज्यपाल इस प्रमाणित आधार पर उसे अपने पद से अपने आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

२८.०४ यह उल्लेखनीय है कि यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार के द्वारा या उसकी तरफ से किए गए संविदा या अनुबंध में किसी भी प्रकार से सम्बन्ध या रूचि रखता है, या किसी कम्पनी के सदस्य या अन्य सदस्यों के साथ लाभ प्राप्त करने के अलावा उससे होने वाले लाभ या फायदा या मुनाफा प्राप्त करता है तो वह दुराचरण का दोषी माना जावेगा।

२८.०५ राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को अपने पद से निलम्बित कर सकते हैं और यदि आवश्यक समझें तो जांच अवधि में उच्चतम न्यायालय से अपने द्वारा किए गए संदर्भ के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदन पर आदेश पारित करने तक उसे कार्यालय जाने से भी मना कर सकते हैं।

२९.०० केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियां क्या हैं ?

२९.०१ केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग का किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने/जांच करने का कर्तव्य है :

(क) जो लोक सूचना अधिकारी को सूचना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है क्योंकि ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है; या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने जिसका आवेदन पत्र या अपील लेकर लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी या सूचना आयोग जैसी भी स्थिति हो, को अग्रप्रेषित करने से मना कर दिया है;

(ख) जिसको आवेदित सूचना देने से मना कर दिया गया है;

(ग) जिसको आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है;

(घ) जिसको देय शुल्क अनुचित लगता है;

(ङ) जिसको दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है;

(च) कानून में सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अन्य प्रकरण।

२९.०२ केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग में युक्तियुक्त कारणों की दशा में जांच आदेश दिए जाने की शक्तियां हैं।

२९.०३ केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग में निम्न प्रकार दीवानी न्यायालय की शक्तियां निहित हैं :

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसके उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, उसे मौखिक या लिखित सशपथ साक्ष्य देना और दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए विवश करना;

(ख) किसी दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या प्रतिलिपियां मंगवाना;

(ङ) साक्षियों अथवा दस्तावेजात के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना; और

(च) अन्य निर्धारित प्रकरण।

२९.०४ केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जांच में लोक प्राधिकरण के नियंत्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से छूट दी गई श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

२९.०५ केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग अपने निर्णयों द्वारा लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना निम्न प्रकार सुनिश्चित करा सकता है:

(क) विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध करवा कर;

(ख) लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करवाकर;

(ग) सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाकर;

(घ) अभिलेख के प्रबन्ध, संधारण और नष्टीकरण की प्रथाओं में आवश्यक परिवर्तन करवाकर;

(ङ) उसके कर्मचारियों के लिए सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था बढ़वाकर;

(च) उससे इस कानून की अनुपालना के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाकर।

२९.०६ केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग में लोक प्राधिकरण से परिवादी को हुई हानि या अन्य क्षति की पूर्ति करवाने की शक्ति है।

२९.०७ केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग को अधिनियम में वर्णित शास्तियां आरोपित करने का अधिकार है।

२९.०८ केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग को आवेदन निरस्त करने का अधिकार है।

३०.०० क्या केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग कानून की क्रियान्विति के बारे में कोई प्रतिवेदन बनावेगा ?

३०.०१ हर मंत्रालय/ विभाग का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष लोक प्राधिकरणों से प्रतिवेदन तैयार करावे, उसे संकलित करे और उसे केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग जैसी भी स्थिति हो, को भेजे,

३०.०२ प्रत्येक प्रतिवेदन में निम्न विवरण होना चाहिए :

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या;

(ख) निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या;

(ग) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम;

(घ) अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण;

(ङ) एकत्रित शुल्क की धनराशि;

(च) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबन्ध एवं क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयत्नों का विवरण;

(छ) सुधार के लिए सुझाव।

३०.०३ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सूचना आयोग कानून की क्रियान्विती पर अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

३०.०४ इसी प्रकार राज्य सूचना आयोग कानून की क्रियान्विती पर अपना प्रतिवेदन तैयार करेगा और राज्य सरकार को भेजेगा।

३०.०५ प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग के प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करेगी।

अपील व्यवस्था

३१.०० क्या व्यथित व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है ?

३१.०१ यदि लोक सूचना अधिकारी से निर्धारित अवधि समाप्ति तक आवेदक को सूचना नहीं मिलती है, तो वह अवधि समाप्ति तिथि से अथवा यदि वह लोक सूचना अधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो आदेश प्राप्ति की तिथि से ३० दिन की अवधि में अपील अधिकारी (लोक प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी) को अपील कर सकता है।

३१.०२ यदि अपीलार्थी पूर्व वर्णित समयावधि में पर्याप्त कारणों से अपील प्रस्तुत नहीं कर सका है, तो अपील अधिकारी अपनी संतुष्टि पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है।

३१.०३ यदि लोक सूचना अधिकारी ने तृतीय पक्ष से सम्बन्धित सूचना को प्रकट करने का आदेश दिया है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित तृतीय पक्ष आदेश की तिथि से ३० दिन में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

३१.०४ अपील अधिकारी अपील प्राप्ति तिथि से ३० दिन में उसका निस्तारण करेगा। अधिक समय लगाने (जो ४५ दिन से अधिक नहीं होगा) की दशा में वह लिखित में कारण दर्ज करेगा।

३२.०० क्या अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था है ?

३२.०१ अपील अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति निर्णय प्राप्ति की तिथि से, अथवा निर्णय की समयावधि में निर्णय न होने की स्थिति में, ऐसी समयावधि समाप्ति तिथि से ९० दिन की अवधि में द्वितीय अपील सम्बन्धित सूचना आयोग को प्रस्तुत कर सकता है।

३२.०२ यदि अपीलार्थी पूर्व वर्णित समयावधि में पर्याप्त कारणों से अपील प्रस्तुत नहीं कर सका है, तो सम्बन्धित सूचना आयोग अपनी संतुष्टि पश्चात अपील ग्रहण कर सकता है।

३२.०३ यदि लोक सूचना अधिकारी का निर्णय जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, तृतीय पक्ष की सूचना से सम्बन्धित है, तो सम्बन्धित सूचना आयोग तृतीय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

३२.०४ अपीलार्थी कार्यवाही में, आवेदन की अस्वीकृति को न्यायोचित साबित करने का भार उस लोक सूचना अधिकारी पर होगा जिसने आवेदन अस्वीकार किया है।

३२.०५ सूचना आयोग अपने निर्णय द्वारा लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करवाने, शिकायतकर्ता को हुई हानि या अन्य क्षति की पूर्ति करवाने, शास्ति आरोपित करने, आवेदन अस्वीकार करने की कार्यवाही कर सकता है।

३२.०६ सूचना आयोग अपील का निर्णय निर्धारित प्रक्रिया अनुसार करेगा। वह अपने निर्णय मय अपील अधिकार होने के बारे में, यदि कोई है, को शिकायतकर्ता एवं लोक प्राधिकरण को भेजेगा।

३२.०७ सूचना आयोग का निर्णय बाध्यकारी है।

शास्तियां, दण्ड एवं न्यायालयीन संरक्षण

३३.०० क्या दोषी लोक सूचना अधिकारी को दण्डित किया जा सकता है ?

३३.०१ शिकायत या अपील का निर्णय करते समय यदि सम्बन्धित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण

(क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना आवेदन को बदनीयती से अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान-बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ङ.) सूचना आवेदन की विषय वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है, तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति तक या सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये २५०/- प्रति दिन की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है जो अधिकतम रूपये २५०००/- हो सकती है।

३३.०२ शास्ति आरोपित करने से पूर्व आयोग लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

३३.०३ इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिए विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

३३.०४ यदि सम्बन्धित सूचना आयोग की शिकायत या अपील का निर्णय करते समय यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी बिना युक्तियुक्त कारण निरन्तर ऐसा कर रहा है तो वह उसके विरुद्ध सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकता है।

३४.०० क्या अधिनियम के अन्तर्गत किए गए कार्य के सम्बन्ध में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं?

किसी भी व्यक्ति के द्वारा सद्भावना में किए गए कार्य के विरुद्ध किसी प्रकार का वाद, अभियोजन या अन्य वैधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। कोई न्यायालय इस अधिनियम में पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद, आवेदन या अन्य वैधिक कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और न ऐसे आदेश पर अधिनियम में की जाने वाली अपील के माध्यम के अलावा आपत्ति करेगा।

सरकार/सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य

३५. जनता में सूचना के अधिकार की जानकारी बढ़ाने के लिए समुचित सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

३५.०१ समुचित सरकार अपने वित्तीय एवं अन्य स्रोतों की प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए जनता—

(क) विशेष रूप से पिछड़े समाज में सूचना के अधिकार की जानकारी बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित और आयोजित करेगी;

(ख) लोक प्राधिकरणों को ऐसे कार्यक्रमों के विकास और आयोजन में भाग लेने या स्वयं द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को तैयार करने, आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी;

(ग) लोक प्राधिकरणों को ऐसे कार्यक्रमों के विकास और आयोजन में भाग लेने या स्वयं द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को तैयार करने, आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी;

(घ) लोक प्राधिकरणों को अपने कार्य-कलापों के बारे में सही सूचना का सही समय एवं प्रभावी तरीके से व्यापक जानकारी कराने के लिए प्रोत्साहित करेगी;

(ङ.) लोक प्राधिकरणों के लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी और सुसंगत प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेगी।

३५.०२ समुचित सरकार १८ महीने में हिन्दी में निदेशिका संकलित करेगी जिसमें अधिकारों के उपयोग के बारे में सहज प्रपत्र एवं प्रक्रिया वर्णित होगी।

३५.०३ समुचित सरकार इस निदेशिका को नियमित अन्तरण से आदिनांक कर आवश्यक रूप से प्रकाशित करेगी। निदेशिका में निम्नांकित का समावेश होगा:

- (क) अधिनियम के उद्देश्य;
- (ख) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत नियुक्त लोक सूचना अधिकारी का सम्पर्क सूत्र यथा डाक का पता, फोन एवं फैक्स नम्बर, इलेक्ट्रॉनिक मेल पता;
- (ग) लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्ति के लिए दिए जाने वाले आवेदन का फार्म एवं तरीका;
- (घ) लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य एवं उससे उपलब्ध सहायता;
- (ङ) सूचना आयोग के कर्तव्य एवं उससे उपलब्ध सहायता;
- (च) आवेदन निरस्त होने पर समस्त उपलब्ध वैधिक उपचार;
- (छ) अभिलेखों का श्रेणीवार स्वैच्छिक प्रकटीकरण सम्बन्धी प्रावधान/विवरण;
- (ज) सूचना की पहुंच के आवेदन शुल्क के बारे में विवरण;
- (झ) सूचना की पहुंच के सम्बन्ध में जारी किए गए अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

३६.०० क्या समुचित सरकार अधिनियम की क्रियान्विति के लिए नियम बनावेगी?

समुचित सरकार अधिनियम के प्रावधानों के भली प्रकार क्रियान्वयन के लिए सूचना सामग्री की कीमत, माध्यम की कीमत, विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते, उनकी सेवा शर्तों, आयोग द्वारा निस्तारित की जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया आदि के बारे में नियम बनावेगी।

३७.०० क्या अन्य संवैधानिक संस्थाएँ इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनावेगी और सूचना उपलब्ध करावेगी?

सभी संवैधानिक संस्थाएँ लोक प्राधिकरण की परिभाषा में सम्मिलित हैं। सरकार की तरह उनके द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के लिए सक्षम अधिकारी अर्थात् लोक सभा या विधान सभा या संघीय क्षेत्र की विधान सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा या राज्य विधान मण्डलों के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संविधान के अन्तर्गत या द्वारा गठित या स्थापित अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक आवश्यक नियम बनावेंगे। इन नियमों में सूचना सामग्री की कीमत, माध्यम की कीमत, विभिन्न प्रकार के देय शुल्क एवं अन्य विवरण होगा। उसी अनुरूप सूचना उपलब्ध होगी।

३८.०० अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का किस प्रकार निराकरण होगा ?

सम्बन्धित सरकार या संवैधानिक संस्थाओं के सक्षम अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु नियम बनाने के लिए सक्षम हैं। वे क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने वास्ते आवश्यक/उपयुक्त आदेश जारी करने में सक्षम हैं लेकिन इस प्रकार के आदेश अधिनियम के प्रभावशील होने से २ वर्ष तक की अवधि में ही जारी हो सकेंगे। ऐसे आदेश राजपत्र में विज्ञापित होंगे।

सूचना का अधिकार २००५ के तहत इण्टरनेट पर जानकारी का प्रकाशन

समस्त लोक प्राधिकारियों हेतु भारत सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ४(१)बी के तहत निर्धारित १७ बिन्दुओं की जानकारी एवं सूचनाओं का प्रकाशन १२ अक्टूबर २००५ से पूर्व अति अनिवार्य है ,अन्यथा वे शास्ति/दण्ड से दण्डनीय हैं ,इसी प्रकार धारा ४(१)अ के तहत सकारणीय समय के भीतर समस्त अभिलेखों का प्रकाशन अनिवार्य है , जिसमें किस दिनांक तक कितना प्रतिशत भाग नेटवर्क पर प्रकाशित किया गया है और अद्यतन किया गया है ,यह सकारण बताना होगा ! अन्यथा अधिनियम के अतिलंघन करने हेतु निर्धारित शास्ति/दण्ड प्रावधानित है ,जिसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना भी समाहित है !

अपनी जानकारी/सूचनायें/अभिलेख इण्टरनेट पर डालने/अपलोड कराने/अद्यतन कराने हेतु सम्पर्क करें

नेशनल नोबल यूथ अकादमी
४२, गांधी कालोनी

मुरैना म.प्र. भारत ४७६००१

ई मेल : NNYA@gwaliortimes.com

इण्टरनेट पर समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशित करायें

विश्वव्यापी एवं ताजा समाचारों हेतु अति लोकप्रिय विश्वप्रसिद्ध वेब साइट

www.gwaliortimes.com

ग्वालियर टाइम्स न्यूज सर्विस आपका स्वागत करती है

- अपने समाचार व विज्ञापन सारे विश्व में इण्टरनेट पर प्रकाशित कराने हेतु सम्पर्क करें
- अपनी पुस्तकें/साहित्य/सेवायें/ज्योतिषीय कार्य /परामर्श सेवायें/उत्पाद/वस्तुएँ/ माल/अन्य कोई भी व्यवसाय के क्रय –विक्रय इण्टरनेट पर करने हेतु सम्पर्क करें
- अपना वेब पेज बनवाने/इण्टरनेट नेटवर्किंग, वेब साइट बनवाने हेतु हमारे कुशल उन्नत प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करें , साइट रजिस्ट्रेशन, सर्वर होस्ट, उच्च सिक्योरिटी , वेब साइट निर्माण, आन लाइन क्रय–विक्रय,आर्डर लेने देने, ताजा समाचार,वेब ग्रुप ,फोरम निर्माण,पी.एच.पी./पर्ल/एक्स.एम.एल./आर.ए.स.एस. फीड आदि सेवायें अत्यंत आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ उपलब्ध हैं

हमसे ही सम्पर्क क्यों ?

क्योंकि हम हैं

- अनुभवी ,अपने कार्य में सिद्ध हस्त और लगभग ७० से अधिक विश्वविख्यात वेब पेज और वेबसाइट के निर्माता
- हमारे पास है वेब मार्केटिंग की भी अत्याधुनिक सुविधायें
- हमारी वेब साइट ने लोकप्रियता और विश्वसनीयता के विश्व शिखरों को छुआ है
- हमारे पास है , विश्व का विश्वास ,ताजगी और अदभुतता का विलक्षण संगम
- हम हैं एक गैर अनुदानित स्वयंसेवी समूह



सम्पर्क

नेशनल नोबल यूथ अकादमी
४२, गांधी कालोनी
मुरैना म.प्र. भारत ४७६००१

ई मेल : NNYA@gwaliortimes.com

A complete Guide on

RIGHT TO INFORMATION 2005

भारत में पहली बार प्रकाशित

सूचना का अधिकार 2005

भारत सरकार के असल अधिनियम, म.प्र. शासन एवं भारत सरकार के नियमों, अनुदेशों, मैनुअलों, टिप्पणियों, प्रश्न एवं उनके उत्तर सहित, प्रारूपों, नमूनों एवं उदाहरणों से युक्त मार्गदर्शक पुस्तिका।

नरेन्द्र सिंह तोमर "आनन्द"

एडवोकेट

सम्पूर्ण मार्गदर्शिका



ABOUT AUTHOR OF THIS BOOK

लेखक का परिचय



नरेन्द्र सिंह तोमर “आनन्द” पेशे से एडवोकेट होकर जिला एवं सत्र न्यायालय जिला मुर्ना म.प्र. एवं उच्च न्यायालय म.प्र. में अभिभाषक कार्य कर रहे हैं ! नरेन्द्र सिंह तोमर “आनन्द” इंजीनियरिंग के बी.ई. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं एम.एस.सी. भौतिक शास्त्र के भी छात्र रहे हैं !

श्री तोमर मूलतः राजपूत होकर, दिल्ली के आखिरी हिन्दू राजवंश “तोमर” वंश के सदस्य हैं ! आप वर्तमान में मुर्ना मध्यप्रदेश जिसे चम्बल घाटी के नाम से जाना पहचाना जाता है, में निवासरत हैं !

श्री तोमर ने इससे पूर्व अनेक पुस्तकें लिखीं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अंग्रेजी में “जनरल अवेयरनेस एण्ड मेटल एबिलिटी”, “मानव अधिकार”, “भारत सरकार की प्रधानमंत्री योजना”, “तंत्र मंत्र यंत्र परिचय”, “ज्योतिष एक परिचय”, “पीताम्बरा व्रत”, “ॐ नमः शिवाय” जैसी मशहूर और हाथों हाथ बिकने वाली किताबें तथा अन्य अनेक छोटी बड़ी पुस्तकें भी लिखीं !

आपने मासिक पत्रिका “नोबलयूथ” का भी काफी समय तक सम्पादन किया, इसके अलावा दैनिक भास्कर, स्वदेश, आचरण, नवभारत, हिन्दुस्तान, दीवाना, देवपुत्र, सृजन, जैसी मशहूर पत्र पत्रिकाओं में लगभग २०० से अधिक लेख एवं अन्य साहित्य लिखा ! आपको पॉलिटेक्निक कालेज ग्वालियर में आयोजित प्रतियोगिता में “द बेस्ट अनाउन्सर” का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है !

आपकी अनेक आडियो कैसेट्स भी निकलीं हैं जिनमें प्रमुख हैं, “शिव तंत्रम, पीताम्बरा तंत्रम, ऋणहर्ता प्रयोग, लक्ष्मी तंत्रम, देवी सहस्रनाम, देवी स्तोत्र” आदि प्रमुख हैं ! आपकी ज्योतिष और तंत्र पर विशेष पकड़ एवं रूचि है, आपके पास इसके इच्छुकों का मेला लगा रहता है !

आप वर्तमान में प्रसिद्ध वेबसाइट “ग्वालियर टाइम्स (www.gwaliortimes.com)” को अपनी समस्त सेवायें मानसेवी तौर पर दे रहे हैं ! और आप बिना अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त किये समाजसेवा कार्य में विगत १३ वर्ष से संलग्न, शासकीय मान्यता प्राप्त और यूनिसेफ द्वारा सूचीबद्ध स्वयंसेवी संस्था “नेशनल नोबलयूथ अकादमी” के प्रबन्धन समिति के निदेशक भी हैं ! आप मानव अधिकार और सूचना का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिये पूर्ण जोर शोर और सक्षमता के साथ जनचेतना और जागरूकता फैलाने व इसे व्यापक व बृहद बनाने के कार्यों में जुटे हुये हैं !

भ्रष्टाचार से आपको विशेष विरोध एवं चिढ़ है, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों से मुकाबला करते करते “हरीदास शर्मा नामक एक भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी ” से आपकी जंग ने सारी चम्बल घाटी में तहलका मचा दिया था, आप चम्बल में सुविख्यात और चर्चित चेहरे हैं !

स्वामी विवेकानन्द, जेम्स एलन, भगवान श्री कृष्ण आपके आदर्श हैं, राजनेताओं में श्री अर्जुन सिंह, दयानिधि मारन, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया के प्रशंसक हैं !

आपने सरकार को अनेक योजनायें बना कर दी हैं, जिन्हे सरकार द्वारा लागू किया गया, आप वर्तमान में सम्पूर्ण बेरोजगारी उन्मूलन के लिये योजना तैयार कर रहे हैं ! आपने अत्यंत सस्ता कूलर टेक्नालॉजी का भी अनुसंधान किया है जिसमें पानी और बिजली की खपत में अत्यधिक कमी आ जाती है और निर्माण में भी काफी सस्ता पड़ता है, इसे बगैर बिजली के भी चलाया जा सकता है, और गांवों में बिना साधन सुविधा के भी उसे बनाया जा सकता है !